सन २०२४-२५ करिता लेखाशिर्ष क्र.३०५१ ०७६८ बंदरापर्यत रस्ता/रेल्वे मार्ग बांधणे आणि बॅकवॉटर (पश्चजल) विकास या योजनेकरिता अर्थसंकल्पीत निधी वितरीत करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन गृह विभाग शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी १०२४/प्र.क्र.७५/बंदरे–२

गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२

दिनांक :- ०७ फेब्रुवारी २०२५

संदर्भ:-१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३ दि. २५.०७.२०२४ २.महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचे पत्र जा.क्र.मसामं/मुकाअ/अभि-३/निधी वितरण प्रस्ताव/३०५१ ०७६८/२०२४-२५/४७०६, दि.१७.१०.२०२४

शासन ज्ञापन :-

महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या बंदरापर्यत रस्ता/रेल्वे मार्ग बांधणे आणि बॅकवॉटर (पश्चजल) विकास या योजनेकरीता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु.९५.०० कोटी निधीपैकी रु.२८.५० कोटी (अक्षरी रु. अट्ठावीस कोटी पन्नास लक्ष फक्त) एवढा निधी, या शासन ज्ञापनाव्दारे खालील कामांसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

| अ. | कामाचे नाव | प्रशासकीय | झालेला खर्च | २०२४-२५ | २०२४-२५ |
|------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| क्र. | | मान्यता | (रु.कोटीमध्ये) | करिता आवश्यक | करिता वितरीत |
| | | रक्कम | | निधीची मागणी | निधी |
| | | रु.कोटीमध्ये) | | (रु.कोटीमध्ये) | (रु.कोटीमध्ये) |
| | | | | | |
| ٩. | आंजर्ला ता.दापोली जि.रत्नागिरी | ५६.८७ | ३९.१६ | 90.09 | 4.32 |
| | येथे ग्रोॲन्स पध्दतीचा बंधारा | | | | |
| | बांधणे. | | | | |
| ٦. | मुळगांव, ता.श्रीवर्धन, जि.रायगड | ८६.२३ | ३८.५ ४ | ४७.६९ | 98.30 |
| | येथे ग्रोयान्स् पध्दतीचा बंधारा | | | | |
| | बांधणे. | | | | |
| 3. | रामराज येथे जेट्टीकडे जाणारा | 9.८४ | 0.00 | 9.८४ | 9.८४ |
| | रस्ता तयार करणे , ता. अलिबाग | | | | |
| | जि.रायगड | | | | |
| 8. | वडराई ता. जि. पालघर येथे | 8.09 | 0.00 | 8.09 | 9.82 |
| | पोचरस्त्याचे मजबुतीकरण करणे | | | | |
| | (सा.क्र.०/०० ते ०/३७० मी) | | | | |

| ዓ. | वडराई ता.जि.पालघर येथे पोचरस्त्याचे (पार्किंग) | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 9.83 |
|-----|---|-------|------|--------------|------|
| | मजबुतीकरण करणे | | | | |
| | (सा.क्र.०/३७० ते ०/४३० मी.) | | | | |
| ξ. | झाई, ता.तलासरी, जि.पालघर | 8.93 | 0.00 | 8.93 | 9.२० |
| | येथील समुद्रालगत जोडरस्त्याचे | | | | |
| | बांधकाम करणे. | | | | |
| ७. | चोरडे ता.मुरुड जि. रायगड येथे | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.20 |
| | चोरडे बंदराकडे जाणारा रस्ता | | | | |
| | तयार करणे | | | | |
| ۷. | कर्ली, ता. कुडाळ जि.सिंधुदुर्ग | 9.04 | 0.00 | 9.04 | 9.04 |
| | खाडीवर हॉटेल गुलमोहर जे जेट्टी | | | | |
| | पर्यत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे | | | | |
| ۶. | मालवण ता. मालवण (सिंधुदुर्ग) | 9.६४ | 0.00 | १.६ ४ | 0.40 |
| | येथे मुख्य रस्ता ते जेट्टीपर्यंतच्या | | | | |
| | पोचरस्त्याचे रुंदीकरण व | | | | |
| | मजबुतीकरण करणे | | | | |
| 90. | केगांव दांडा, ता.उरण जि.रायगड | 8.09 | 0.00 | 8.09 | 9.२४ |
| | येथील दांडा स्मशानभूमी ते | | | | |
| | मैदानालगतच्या रत्याचे | | | | |
| | मजबुतीकरण करणे | | | | |
| | एकुण | २८.५० | | | |

- २. सदर निधी ज्या कामांकरीता वितरीत करण्यात येत आहे, त्याच कामांवर प्राप्त प्रशासकीय मान्यता /सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व विहित कालावधीत खर्ची पडेल, याबाबत आवश्यक ती दक्षता घेण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांची राहील.
- 3. सदर निधी खर्च करतांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. २५.०७.२०२४ शासन परिपत्रकातील सूचनांचे व तरतुदीचे पालन करण्यात यावे. तसेच, सदरचा निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता बँक खात्यात, स्वीय प्रपंजी खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही.
- ४. सदरचा निधी दि.३१.०३.२०२५ पूर्वी खर्च करून खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास सादर करण्यात यावीत.
- ५. या वितरीत करावयाच्या तरतुदीकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई हे राहतील.
- ६. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र. बी-७, लेखाशीर्ष क्र. ३०५१-बंदरे व दिपगृहे, (०१)(०८), बंदरापर्यत रस्ता/रेल्वे मार्ग बांधणे आणि बॅकवॉटर (पश्चजल) विकास कार्यक्रम-(३०५१ ०७६८), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (कार्यक्रम)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.

- ७. सदर शासन ज्ञापन, नियोजन विभाग अनौ.सं.क्र.३७९/का.१४६१ दि. १९.१२.२०२४ व वित्त विभाग अनौ.सं.क्र.३४/२०२५/व्यय-८ दि. २७.०१.२०२५ अन्वये त्या विभागाच्या मान्यतेने व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
- ८. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२५०२०७१४२३४०९८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(भरत लांघी) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रत,

- 9) मा. मंत्री, बंदरे विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ यांचे खाजगी सचिव.
- २) अपर मुख्य सचिव (बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
- ३) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई.
- ४) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२.
- ५) नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२.
- ६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई
- ७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.
- ८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई.
- ९) कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग.
- १०) निवडनस्ती (बंदरे-२).